1. शून्य एवं अवैध करारों में अन्तर (Difference between void and illegal Agreements)

इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर पाया जाता है।

शून्य करार	अवैध करार
(1) सभी शून्य करार प्रारम्भ से ही शून्य नहीं होते हैं। कभी-कभी परिस्थितियों से कालान्तर में शून्य हो जाते हैं।	(1) जबकि अवैध करार प्रारम्भ से ही अवैध होते हैं।
(2) शून्य करारों के शून्य होने का कारण अवैध होना नहीं होता, प्रतिफल का अभाव होना, आदि हो सकते हैं।	(2) जबकि अवैध करारों का मुख्य कारण उद्देश्य अथवा प्रतिफल का अवैध होना होता है।
(3) शून्य करारों के आनुषंगिक करारों को सामान्यतः प्रवर्तित कराया जा सकता है।	(3) जबकि अवैध करारों के आनुषंगिक करारों को कभी प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है।
(4) शून्य करारों के पक्षकार दण्ड के भागी नहीं होते हैं।	(4) जबकि अवैध करारों के पक्षकार दण्ड के भागी हो सकते हैं।
(5) शून्य करारों का क्षेत्र अवैध करारों की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। इसमें सभी अवैध करार सम्मिलित हैं।	(5) जबकि अवैध करारों का क्षेत्र सीमित होता है। सभी अवैध करार शून्य होते हैं लेकिन सभी शून्य करार अवैध नहीं होते हैं।

प्रत्येक अवैध करार सदैव शून्य होता है, लेकिन प्रत्येक शून्य करार का अवैध होना आवश्यक नहीं है —

शून्य करारों का क्षेत्र अवैध करारों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। प्रायः सभी अवैध करार आवश्यक रूप से शून्य होते हैं, लेकिन अवैध करारों का क्षेत्र सीमित होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी शून्य करार अवैध हों ही। यह उपरोक्त अन्तर से स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि 'प्रत्येक अवैध करार सदैव शून्य होता है; लेकिन प्रत्येक शून्य करार का अवैध होना आवश्यक नहीं।

All illegal agreements are void agreements, but all void agreements need not necessarily be illegal.

Scanned with CamScanner